फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री कान्तिलाल उपाध्याय जाति उपाध्याय निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 70 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 09.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 06.11.2020 को श्री मुरलीधर कुमावत लेखाधिकारी ग्रेड–2 कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच कोषाधिकारी सिरोही द्वारा दिनांक 05.08.2021 व 06.08.2021 को की गई थी। अतः उक्त प्रकरण में कोषाधिकारी सिरोही द्वारा की गई जांच की जांच प्रतिवेदन व जांच प्रतिवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 09.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 06.11.2020 को श्री मुरलीधर कुमावत लेखाधिकारी ग्रेड–2 कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच कोषाधिकारी सिरोही द्वारा दिनांक 05.08.2021 व 06.08.2021 को की गई थी। अतः उक्त प्रकरण में कोषाधिकारी सिरोही द्वारा की गई जांच की जांच प्रतिवेदन व जांच प्रतिवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर ... को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से ... हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:37:37 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner